नम्बर /वर्ष 346/2022 अनवानी मोनिका बनाम करसन

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
11.11.2024	वकुलाय फरिकेन उपस्थित जबाब प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी को पेश किया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.11.2024 को पेश हो।	
14.11.2024	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 10/12/24 को पेश हो	
10/12/24	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर सुना गया सक्षेप में निम्नप्रकार से है :– प्रार्थी अमरसिह आदि के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण ने जरिये बेयनामा कृष्णलाल , राकेश कुमार से रोही मौजा खसरण्डी के खाता संख्या 43/3 के खसरा न0 253 ,262 ,की कुल 33.3950हैक में से 1/2 हिस्सा मे से 7 बीधा भूमि न्यायालय जिला न्यायाधीश संख्या 2 प्रकरण अमरसिह बनाम कृष्णलाल 50/14 में पारित निग्रय/डिक्री 06.11.2022 की अनुपालना में निष्पादित हुआ है इसलिये 7 बीधा भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुद्वा भूमि है किन्तु मोनिका आदि ने स्थगन आदेश प्राप्त कर जिससे बेयनामा पर रोक प्राप्त कर ली है प्रकरण में वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण का हक निहित है इसलिये जबाब साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान फरमावे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। प्रार्थी मोनिका के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2022 जिसके द्वारा बेयनामा निष्पादित करवाया गया था के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका जैरकार है इसलिये उक्त वाद /प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बन सकते है वाद भूमि पर कब्जा उतरदाता के पास ही है माननयी उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। पैतृक सम्पति में अपने पिता के नाम पर खातेदार भूमि की धोषणा चाही गई है जिसे प्रार्थी को नि किसी खातेदार के आवश्यक पक्षकार नही है प्रार्थी उक्त भूमि में किसी प्रकार के दस्तावेजात से यदि खातेदार काश्तकार बनता हे तो जिसकी धोषणा सिविल न्यायालय के दस्तावेज की सत्यता के उपरान्त अपने खातेदार/खरीददार होने का बाद पेश कर सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने अपने पिता से पैतृक सम्पति का कथन कर अपने हकों की धोषणा का वाद पेश किया गया है वादी के पिता किरसन ने वाद भूमि में से 7 बीधा भूमि का विवाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन रहा था जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 06.11.2022 को निर्णय पारित किया जाकर बैयनामा निष्पादित करवाया गया है प्रस्तुत निर्णय एव बेयनामा की प्रति [illegible] निर्णय दिनांक 06.11.2022 के आधार पर बेयनामा निष्[illegible] गया था के विरूद्व माननीय सिविल न्याया[illegible] प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें स्थगन आ[illegible] चुका है इसप्रकार बैयनामा के आधार पर प्रार्थी वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाना है उसके विरूद्व रिट याचिका पेश होकर स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है अर्थात बेयनामा निष्पादन का आदेश अन्तिम नही हुआ है विवाद विचाराधीन है एव स्थगन आदेश भी जारी है जब तक माननीय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उच्च न्यायालय में बैयनामा के विरूद्व रिट याचिका व स्थगन आदेश प्रभावी है

इसप्रकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से उभयपक्षों के मध्य विवाद बढेगा जब तक माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट याचिका जो वाद भूमि के बेयनामा से सम्बधित हे का अन्तिम निस्तारण नही हो जाता तब तक हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही है

हस्तगत प्रकरण में वाद भूमि के सम्बध में किसी भी प्रकार की धोषणा करने से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में माना जा सकता है क्योकि हस्तगत वाद में वर्णित भूमि के बैयनामा की रिट याचिका विचाराधीन है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही है क्योकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट याचिका के निर्णय उपरान्त ही बेयनामा अन्तिम है या नही का निर्धारण होगा उसके उपरान्त ही प्रार्थी हस्तगत वाद में पक्षकार बनने योग्य है अथवा नही का निर्धारण किया जाना विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत वाद में वर्णित भूमि में किये गये बैयनमाा के सम्बध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका विचाराधीन है जिसमें जब तक अन्तिम निर्णय पारित नही हो जाता तब तक हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही /आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही है एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 239/2022 अनवानी राकेश कुमार बनाम अमरसिह के अन्तिम निस्तारण होने तक हस्तगत वाद /प्रार्थना पत्र की कार्यवाही स्थगित रखी जाती है

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested